राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(19)RSMSSB/अर्थना/पटवारी/2015/ 314 - 323 **दिनांक : 04.11.2015**

विज्ञापन सं. 5

पटवार सीधी भर्ती परीक्षा–2015

राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के अन्तर्गत राज्य की पटवार प्रशिक्षण शालाओं में प्रवेश हेतु पटवार सीधी भर्ती परीक्षा के प्रयोजनार्थ राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा सूचित किए गए पटवारी के 4400 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र मे ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। **आवेदक चयन के बाद जिस जिले में पदस्थापन चाहते हैं उन जिलों की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। जिन आवेदकों द्वारा जिलों के प्राथमिकता क्रम का उल्लेख नहीं किया जाता है तो उनकी प्राथमिकता राजस्व मण्डल द्वारा तय की जायेगी।**

विशेष नोट :–

(1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण **आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।**

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

1. **आवेदन प्रकिया :–** आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु आवेदक द्वारा रूपये **30/– (रूपये 20/–** आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा । आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है तो, वह ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर चयन बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से स्वयं आवेदन पत्र भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रूपये 10/– ही सेवा शुल्क देना होगा। आवेदक ई–मित्र पर परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त कियोस्क से भुगतान रसीद अवश्य प्राप्त करें (रसीद पर 16 अंक का टोकन नम्बर अंकित होगा)। **हाथ से भरे आवेदन–पत्र किसी भी रूप से बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।**

नोटः–

1. ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।
2. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई है।
3. **आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन–पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नही हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।**

2. **परीक्षा शुल्कः–** आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से बोर्ड को भेजे।

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रूपये 650/–**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रूपये 450/–**

(ग) राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु – **रूपये 350/–**

नोटः– 1. ऑनलाईन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क **रूपये 30/– (रू 20/–** आवेदन पत्र भरने हेतु + **रूपये 10/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप मे ई–मित्र को देने होंगे।

2. परीक्षा शुल्क अन्य बैंकों की नेट बैकिंग**/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व केडिट कार्ड** के माध्यम से जमा कराने हेतु **ई–मित्र पोर्टल http:/www.emitra.gov.in** पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहा से टोकन नम्बर प्राप्त कर बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाईन फार्म भर सकता है।

3. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त **ई–मित्र कियोस्क** तथा **जन सुविधा केन्द्र (C.S.C)** की सूची बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य के बाहर के आवेदक जहां **ई–मित्र कियोस्क** तथा **जन सुविधा केन्द्र (C.S.C)** नहीं है, वे बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची से जानकारी प्राप्त कर उनसे (**ई–मित्र कियोस्क /जन सुविधा केन्द्र**)व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते है।

4. राजस्थान राज्य से अन्य भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

3. **प्रवेश पत्रः–**बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आर्नलाईन प्रवेश–पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश–पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश–पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन पत्र कमांक** एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान मे रखे। उपलब्ध संसाधनो एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई–मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

4. पटवारी के जिलेवार रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-

(क) गैर-अनुसूचित क्षेत्र

क. सं.	नाम जिला	जिले में भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या	1.सामान्य वर्ग					2.1अनुसूचित जाति					3.1 अनुसूचित जनजाति					4 बांरा जिले की सहरिया (आदिम जाति) हेतु					5 पिछड़ा वर्ग					6 विशेष पिछड़ा वर्ग					दण्डवत आरक्षण	
			कुल पदों की संख्या	सामान्य(पुरुष)	महिला			कुल पदों की संख्या	सामान्य(पुरुष)	महिला			कुल पदों की संख्या	सामान्य(पुरुष)	महिला			कुल पदों की संख्या	सामान्य(पुरुष)	महिला			कुल पदों की संख्या	सामान्य(पुरुष)	महिला			कुल पदों की संख्या	सामान्य(पुरुष)	महिला			भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
					सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता		
1	अजमेर	**246**	115	81	23	9	2	39	28	8	3	0	29	21	6	2	0	0	0	0	0	0	51	36	10	4	1	12	9	3	0	0	30	**4**
2	अलवर	**193**	91	64	19	7	1	30	21	7	2	0	23	17	5	1	0	0	0	0	0	0	40	28	9	3	0	9	7	2	0	0	24	**3**
3	बाड़मेर	**167**	79	56	16	6	1	26	19	5	2	0	20	14	5	1	0	0	0	0	0	0	34	24	8	2	0	8	6	2	0	0	20	**3**
4	भरतपुर	**131**	63	45	12	5	1	20	14	5	1	0	15	11	3	1	0	0	0	0	0	0	27	19	6	2	0	6	5	1	0	0	16	**2**
5	भीलवाड़ा	**200**	92	65	19	7	1	32	23	7	2	0	24	17	6	1	0	0	0	0	0	0	42	30	9	3	0	10	7	3	0	0	25	**4**
6	बीकानेर	**126**	59	42	12	4	1	20	14	5	1	0	15	11	3	1	0	0	0	0	0	0	26	19	5	2	0	6	5	1	0	0	15	**2**
7	बूंदी	**98**	47	33	11	3	0	16	12	3	1	0	11	8	3	0	0	0	0	0	0	0	20	14	5	1	0	4	3	1	0	0	12	**1**
8	चित्तौड़गढ़	**131**	63	45	12	5	1	20	14	5	1	0	15	11	3	1	0	0	0	0	0	0	27	19	6	2	0	6	5	1	0	0	16	**2**
9	चूरू	**127**	60	42	13	4	1	20	14	5	1	0	15	11	3	1	0	0	0	0	0	0	26	19	5	2	0	6	5	1	0	0	15	**2**
10	दौसा	**130**	62	44	13	4	1	20	14	5	1	0	15	11	3	1	0	0	0	0	0	0	27	19	6	2	0	6	5	1	0	0	16	**2**
11	धौलपुर	***8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		65	32	23	7	2	0	10	7	3	0	0	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	13	10	2	1	0	3	3	0	0	0	9	**1**
12	हनुमानगढ़	**75**	37	26	9	2	0	11	8	3	0	0	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	15	11	3	1	0	3	3	0	0	0	9	**1**
13	जयपुर	***1**	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	**5**
		253	118	83	24	9	2	40	28	9	3	0	30	21	7	2	0	0	0	0	0	0	53	38	10	4	1	12	9	3	0	0		
14	जैसलमेर	**60**	29	21	6	2	0	9	7	2	0	0	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	12	9	3	0	0	3	3	0	0	0	7	**1**
15	जालौर	**142**	67	47	14	5	1	22	16	5	1	0	17	12	4	1	0	0	0	0	0	0	29	21	6	2	0	7	5	2	0	0	17	**2**
16	झालावाड़	**141**	67	47	14	5	1	22	16	5	1	0	16	12	3	1	0	0	0	0	0	0	29	21	6	2	0	7	5	2	0	0	17	**2**
17	झुंझुनूं	**99**	47	33	11	3	0	16	12	3	1	0	12	9	3	0	0	0	0	0	0	0	20	14	5	1	0	4	3	1	0	0	12	**1**
18	जोधपुर	**167**	79	56	16	6	1	26	19	5	2	0	20	14	5	1	0	0	0	0	0	0	34	24	8	2	0	8	6	2	0	0	20	**3**
19	करौली	**105**	50	35	10	4	1	16	12	3	1	0	12	9	3	0	0	0	0	0	0	0	22	16	5	1	0	5	4	1	0	0	13	**2**
20	कोटा	**101**	47	33	11	3	0	16	12	3	1	0	12	9	3	0	0	0	0	0	0	0	21	15	5	1	0	5	4	1	0	0	12	**2**
21	पाली	**152**	72	51	15	5	1	24	17	6	1	0	18	13	4	1	0	0	0	0	0	0	31	22	7	2	0	7	5	2	0	0	19	**3**
22	नागौर	**192**	90	63	19	7	1	30	21	7	2	0	23	17	5	1	0	0	0	0	0	0	40	28	9	3	0	9	7	2	0	0	24	**3**
23	राजसमन्द	**73**	36	26	8	2	0	11	8	3	0	0	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	15	11	3	1	0	3	3	0	0	0	9	**1**
24	सवाईमाधोपुर	**108**	52	37	10	4	1	17	12	4	1	0	12	9	3	0	0	0	0	0	0	0	22	16	5	1	0	5	4	1	0	0	13	**2**
25	श्रीगंगानगर	**155**	74	52	16	5	1	24	17	6	1	0	18	13	4	1	0	0	0	0	0	0	32	23	7	2	0	7	5	2	0	0	19	**3**
26	सीकर	**118**	57	40	12	4	1	18	13	4	1	0	14	10	3	1	0	0	0	0	0	0	24	17	6	1	0	5	4	1	0	0	14	**2**
27	टोंक	**165**	78	55	16	6	1	26	19	5	2	0	19	14	4	1	0	0	0	0	0	0	34	24	8	2	0	8	6	2	0	0	20	**3**
28	बांरा	**88**	43	31	9	3	0	7	5	2	0	0	5	4	1	0	0	21	15	5	1	0	8	6	2	0	0	4	3	1	0	0	11	**1**
29	प्रतापगढ़	**9**	6	5	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**0**
30	सिरोही	**69**	33	24	7	2	0	11	8	3	0	0	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	14	10	3	1	0	3	3	0	0	0	8	**1**
31	उदयपुर	**84**	40	28	9	3	0	13	10	2	1	0	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	17	12	4	1	0	4	3	1	0	0	10	**1**
	समस्त योग	**3979**	**1885**	**1333**	**394**	**136**	**22**	**614**	**442**	**138**	**34**	**0**	**468**	**341**	**106**	**21**	**0**	**21**	**15**	**5**	**1**	**0**	**806**	**576**	**176**	**52**	**2**	**185**	**145**	**40**	**0**	**0**	**484**	**65**

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

क. सं.	नाम जिला	जिले में भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या	1.सामान्य वर्ग (अनुसूचित क्षेत्र) 50 प्रतिशत					2.1अनुसूचित जाति (अनुसूचित क्षेत्र) 5 प्रतिशत					3.1 अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित क्षेत्र) 45 प्रतिशत					दण्डवत आरक्षण	
			कुल पदों की संख्या	सामान्य(पुरूष)	महिला			कुल पदों की संख्या	सामान्य(पुरूष)	महिला			कुल पदों की संख्या	सामान्य(पुरूष)	महिला			भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाडी
					सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता		
1	डुंगरपुर	120	61	43	13	4	1	6	5	1	0	0	53	38	10	4	1	15	2
2	बांसवाड़ा	147	74	52	16	5	1	7	5	2	0	0	66	47	13	5	1	18	2
3	प्रतापगढ़	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0		
		50	26	21	5	2	0	2	2	0	0	0	22	16	5	1	0	6	1
4	सिरोही	10	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	1	0
5	उदयपुर	93	48	34	11	3	0	4	3	1	0	0	41	29	9	3	0	11	1
योग		**421**	**215**	**155**	**46**	**14**	**2**	**19**	**15**	**4**	**0**	**0**	**187**	**133**	**39**	**13**	**2**	**51**	**6**

नोटः–

1. **अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचति क्षेत्र के कॉलम में अंकन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नही किया जायेगा।**
2. उपरोक्त तालिका में * अंकित दर्शाये गये रिक्त पद पूर्व के बैकलॉग के पद है।
3. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) होगा।
4. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.2(50)राज./ग्रुप–1/2009 दिनांक 17.03.2011 के अनुसार राजस्व विभाग के पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षकों के पदों की अर्हताओं के मध्येनजर निःशक्तजन के आरक्षण व नियुक्ति से छूट प्रदान की गई है।
5. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढोतरी** की जाती है तो इसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नही किया जायेगा।

<u>विशेष सूचनाः–</u>

1. **कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।**

   परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।

   परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रकिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्यिों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।
2. **राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।**
3. **महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।**

   <u>स्पष्टीकरणः</u>– किसी वर्ग(अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। <u>पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।</u>
4. **महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग**

की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

5. **विशेष पिछडा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7(2)/डीओपी/ए–II/2015–(1) दिनांक 16.10.2015 के अनुसार राजस्थान राज्य के विशेष पिछडा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।**
6. **कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 के अनुसार सामान्य पदों के विरूद्व चयन हेतु आरक्षित वर्ग(राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने आयु एवं शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।**
7. **राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।**
8. **बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बारा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91पार्ट दिनांक 21.05. 2013 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।**
9. **<u>भूतपूर्व सैनिकों हेतुः</u>–** भूतपर्व सैनिको को आरक्षण **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिको के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है।** भूतपूर्व सैनिक के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिको की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा।
10. **<u>उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतुः</u>– उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।** इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

<u>उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान</u> :– कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–।।/84 दिनांक 15–03–2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार ''उत्कृष्ट खिलाड़ियों' ' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने :–

1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

कृपया ध्यान दें कि यदि किसी आवेदक ने जान–बूझकर बिना साक्ष्य गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की हैं, तो बोर्ड द्वारा आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

5. <u>अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश</u> :–

1. **अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें।**
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 16.06.2013 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम–2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80–एल–1 दिनांक 12.02. 1981 द्वारा घोषित क्षेत्र है। **राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश में उपलब्ध है।**
5. **महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।**

<u>स्पष्टीकरण</u>:– किसी वर्ग(अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान के आधार पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। <u>पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।</u>

6. **महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विधवा अभ्यर्थी होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।**
7. **कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 के अनुसार सामान्य पदों के विरूद्व चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) के केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने आयु एवं शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।**
8. परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों में यथा–उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है/चुकी है या उपस्थित हो रहा/रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे लिखित परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
9. **<u>भूतपूर्व सैनिकों हेतु</u>:–** भूतपर्व सैनिको को आरक्षण **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार दिया गया है।** भूतपूर्व सैनिक के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिको की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा और रिक्तिया अग्रनीत नहीं की जायेगी।
10. निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
11. रिजर्विस्टों अर्थात रक्षा सेवा कार्मिको जिनकों रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था के लिए उपर्युक्त उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
12. राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषदो और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
13. कैडेट अनुदेशकों (Cadet Instructors) के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।

नोटः– **अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने, नियुक्ति की अयोग्यताएं, ऑनलाईन आवेदन में संशोधन, प्रमाण–पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनो की रोकथाम एवं प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर–अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होगें।**

6. **<u>वेतनमान</u>:–** पटवार पद का वेतनमान 5200–20200 (पीबी–I) ग्रेड पे रू 2400/– । बोर्ड द्वारा पटवार प्रशिक्षण शाला हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मण्डल, अजमेर को उपलब्ध कराये जाने पर भू.अ. नियम 281 के अनुसार 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिलवाया जावेगा व उसके पश्चात् भू.अ. नियम 282 के अनुसार पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भू.अ. नियम 4(क) के अनुसार नियुक्ति दी जावेगी।

अन्य शर्ते :–

(1.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जावे।

(2.) ऐसे किसी आवेदक को, जो कि दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त होगा, की नियुक्ति दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृखंला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।

(3.) भू.अ. नियमों के उपबन्धों के अनुसार सरकारी सेवा में नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान वेतनमान में उसकी स्वयं की वेतन परिलब्धियां या नये पद पर नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभकारी हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः–

आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय, आवेदक की निम्नलिखित योग्ताएं होनी चाहिए :–

(i) आवेदक 10+2/सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है, और

(ii) देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान एवं निम्नांकित योग्यताऐं होना आवश्यक हैः–

(iii) भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेन्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एक्रीडिटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (DOEACC) द्वारा आयोजित ''ओ'' लेवल या उच्च स्तर का प्रमाण–पत्र

या

व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद (नेशनल कॉसिल)/राज्य परिषद (स्टेट कॉसिल) के अधीन आयोजित कम्प्यूटटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)/DATA तैयारी और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (DPCS) कोर्स का प्रमाण–पत्र

या

भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा

या

सरकार से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

या

राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित सूचना प्रोद्योगिकी में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फोरमेशन टेकनोलोजी (RS-CIT) कोर्स का प्रमाण पत्र।

अन्य योग्यताऐं :–

(1) **स्वास्थ्य** :– पटवारी के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि पटवारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) **चरित्र** :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह पटवारी के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके । उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो।

8. राष्ट्रीयता :–

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्विया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोटः–परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. आयुः– आवेदक 1, जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6/कार्मिक/क–II/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार ''जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।"

स्पष्टीकरणः– वर्ष 2014 में पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की और छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी :–

1. अधिकतम आयु सीमा में –

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछडा वर्ग और विशेष पिछडा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

२९

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति , अन्य पिछडा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।

4. जो व्यक्ति पटवारी के पद पर अस्थाई तौर से नियुक्त थे, उन्हें आयु की सीमा के भीतर समझा जाएगा यदि वे प्रथम बार नियुक्ति के समय आयु की सीमा में थे यद्यपि उन्होनें परीक्षा के लिये निश्चित की गई दिनांक को आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे प्रथम नियुक्ति के समय उसके योग्य थे, तो उन्हें दो अवसर तक प्रदान किये जायेंगे।

5. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है और यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु से ज्यादा नहीं हुई हो।

6. राज्य सेवा में संस्थाई (Substantive) तौर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिये 42 वर्ष होगी।

7. पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया, युगांडा एवं जंजीबार देशों से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

8. दिनांक 1–3–1963 को या उसके बाद 29–2–1977 तक बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपर बताई गई अधिकतम आयु 45 वर्ष तक शिथिल होगी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये यह शिथिलता 5 वर्ष तक और दी जायेगी।

9. **भूतपूर्व सैनिकों के लिए** :–

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 6 के प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिको के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्चतम आयु सीमा 2 वर्ष शिथिल करने योग्य होगी।

(क) भूतपूर्व सैनिको के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ग) भूतपूर्व सैनिक :–

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र ''अच्छा'' से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्ह बना दे।

10. **विधवाओं और विछिन्न विवाह** महिलाओं के मामलें में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :– विधवा महिला के मामले मे उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह का सबूत प्रस्तुत करना होगा। ***(परिपत्र क्रमांक प–7(2)कार्मिक/ क–2/88 पार्ट–1 दिनांक 5–6–2013)***

10. पेंशनः–

1. नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. विवाह पंजीयन :–

शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है । तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

12. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि –

(क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक **10.11.2015 से 09.12.2015** को रात्रि 12 बजे (ई–मित्र एवं जन सुविधा केन्द्र पर रात्रि 8 बजे) तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक **10.11.2015 से 10.12.2015** को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

13. परीक्षा का माह एवं दिनांकः—

(क) **प्रारम्भिक परीक्षा** संभवतया माह फरवरी, 2016 में बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर करवाई जायेगी। परीक्षा तिथि एवं समय की सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

(ख) **पटवार सीधी भर्ती परीक्षा–2015 में बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध है।**

(ग) प्रारम्भिक परीक्षा में योग्य घोषित अभ्यर्थियों की **मुख्य परीक्षा** आयोजित की जायेगी। मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम की सूचना अलग से बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जायेगी। **मुख्य परीक्षा** का पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :—

सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपकमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित कर, स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड,जयपुर को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है।

15. नियुक्ति की अयोग्यताऐं :—

(1) किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2)किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

(3)कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।

(4)ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती,

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट–छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

16. आवेदन कैसे करेः—

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट— राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान देः—

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ–साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।

4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगें, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तो की पालना नही करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

6. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

7.फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश

फोटो अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड़ करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

8.हस्ताक्षर अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड़ हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणीः–

1. **परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घंटे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से बोर्ड कार्यालय, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर बोर्ड द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।**
2. **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक पेन, पेन्सिल, प्रवेश–पत्र या बोर्ड द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की नहीं होगी।**
3. **जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक लगाने, अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।**

17. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन :–

1. आवेदक ने ऑनलाईन आवेदन करते समय यदि भूलवश आवेदन में कोई सूचना सही नही भरी है या गलत सूचना भर दी है तो आवेदक अपने आवेदन में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक भी यदि किसी अभ्यर्थी ने आवेदन में संशोधन नहीं किया है तथा संशोधन की आवश्यकता है तो वह ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद भी 15 दिन की अवधि के भीतर संशोधन कर सकता है। **इसके बाद आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नही किया जायेगा।** ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने के लिए आवेदक ई–मित्रा कियोस्क पर 300/–रू. जमा कराकर नया टोकन नंबर प्राप्त कर संशोधन कर सकेंगे।
2. आवेदक ऑनलाईन आवेदन में परीक्षा के नाम एवं पद के नाम में संशोधन नही कर सकता है। आवेदक अपने नाम एवं पिता/पति के नाम की वर्तनी, जन्म तिथि, श्रेणी, विकलांगता श्रेणी, लिंग, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संशोधन कर सकते हैं।

18. प्रमाण–पत्रों का सत्यापनः– आवेदक को वर्ग विशेष(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/उत्कृष्ट खिलाडी) का लाभ तब ही देय होगा जबकि मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :–

1. जाति प्रमाण –पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण–पत्र पर विचार नही किया जाएगा।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

19. अनुचित साधनों की रोकथामः– परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

20. प्रारम्भिक (Preliminary)परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की स्कीम :–

पटवारी पद पर भर्ती के लिए प्रारम्भिक परीक्षा की अवधि तीन घण्टे की होगी। प्रश्नों का पेटर्न निम्नलिखित विषयों से वस्तुनिष्ठ (objective type) होगा।

विषय	अधिकतमत अंक
1–सामान्य ज्ञान	100
2–गणित	100
3–बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान	50
4–सामान्य हिन्दी	50

Note :- There shall be Negative marking for each wrong answer. 1/3 mark shall be deducted for each wrong answer.

प्रारम्भिक परीक्षा का सिलेबस नीचे दिए गए अनुसार होगा :–

Subject	Syllabus
General Knowledge	10+2/Senior Secondary level.
Mathematics	10/ Secondary level.
Computer	Basic Computer Knowledge
General Hindi	10+2/Senior Secondary level. "

Note :- पटवारी भर्ती प्रारम्भिक परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाईट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

21. मुख्य (Main) परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की स्कीम :–

पटवारी के पद पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा की अवधि तीन घण्टे होगी। प्रश्नों का पेटर्न निम्नलिखित विषयों से वस्तुनिष्ठ (objective type) होगा। प्रत्येक प्रश्न दो अंको का होगा :–

विषय	अधिकतम अंक
1–सामान्य ज्ञान	100
2–गणित	100
3–बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान	50
4–सामान्य हिन्दी	50

Note :- There shall be Negative marking for each wrong answer. 1/3 mark shall be deducted for each wrong answer.

परीक्षा का सिलेबस नीचे दिए गए अनुसार होगा :–

Subject	Syllabus
General Knowledge	10+2/Senior Secondary level.
Mathematics	10/ Secondary level.
Basic Computer Knowledge	1. Characteristics of Computers, 2. Computer Organization including RAM, ROM, File System Input Devices Computer Software- Relationship between Hardware and Software; 3. Operating System. 4. MS-Office (exposure of Word, Excel/spread sheet, Power Point) 5. Information Technology and Society - Indian IT Act Digital Signatures Application of information Technology in Govt. for e-Governance. Mobile/Smart phones, Information kiosks.
General Hindi	10+2/Senior Secondary level. "

Note :- पटवारी भर्ती मुख्य परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाईट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

22. <u>बोर्ड की वेबसाइटः</u>– आवेदक बोर्ड की वेबसाइट **<u>www.rsmssb.rajasthan.gov.in</u>** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर–302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(सांवर मल वर्मा)
सचिव

क्रमांकः प.14(19)RSMSSB/अर्थना/पटवारी/2015/ 314-23 **दिनांक : 04.11.2015**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को बोर्ड का विज्ञापन संख्या 5 **प. 14(19)RSMSSB/अर्थना/पटवार/2015/**314-23 दिनांक 04.11.2015 की प्रतियां प्रेषित करते हुए राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के आगामी अंक में विस्तृत विज्ञापन केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु प्रकाशनार्थ हेतु भेजा जा रहा है।
   उक्त समाचार पत्र के विज्ञापन प्रबन्धक से भी अनुरोध है कि बोर्ड का विज्ञापन नवीनतम संस्करण में हर हालात में प्रकाशित करें। साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रकाशित विज्ञापन कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) निम्नलिखित पते पर सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित विषय सामग्री की सत्यता की जांच की जा सके।
   विशेषाधिकारी , विज्ञापन अनुभाग, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
2. शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
5. अध्यक्ष एवं प्रंबध निदेशक, राज कॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (आर.आई.एस.एल) प्रथम तल सी ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर–302005 से अनुरोध है कि विस्तृत विज्ञापन को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. उप शासन सचिव वित (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विज्ञापन (केवल एक बार) राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
8. पंजीयक, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
9. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को पत्र क्रमांक राम/भूअ/परीक्षा/263/15/12316 दिनांक 14.10.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

(सांवर मल वर्मा)
सचिव